



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 6, 2016/आश्विन 14, 1938

No. 709]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2016/ASVINA 14, 1938

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2016

सा.का.नि. 957(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केंद्रीय) नियमावली, 1950 में आगे संशोधन हेतु कुछेक निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें केंद्र सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की उप धारा (1) द्वारा यथापेक्षित, उससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा नियम पर, भारत का राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई, की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीस दिनों के पश्चात् विचार किया जाएगा।

उक्त मसौदा नियमों के संबंध में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से जो आपत्तियां या सुझाव प्राप्त होंगे, केंद्रीय सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

आपत्तियां तथा सुझाव, यदि कोई हों, श्री अजय मलिक, अवर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को संबोधित किए जाएं।

मसौदा नियम

- (1) ये नियम कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2016 कहे जाएंगे।
- (2) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में नियम 50 में “पंद्रह हजार” शब्द, जहां भी वे आएँ, के स्थान पर “इक्कीस हजार” को प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. एस-38012/02/2013-सा.सु.-I]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :— मूल नियमावली, संख्या एस.आर.ओ. 212, दिनांक 22 जून, 1950 द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी तथा संख्या सा.का.नि. 598(अ), दिनांक 14 जून, 2016 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2016

G.S.R. 957(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Employees’ State Insurance (Central) Rules, 1950 which the Central Government, after consultation with the Employees’ State Insurance Corporation, proposes to make in exercise of the powers conferred by section 95 of the Employees’ State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

The Objections or suggestions, which may be received from any person in respect of these draft rules within the period specified above, will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Ajay Malik, Under Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001.

DRAFT RULES

- (1) These rules may be called the Employees’ State Insurance (Central) Amendment Rules, 2016.
- (2) In the Employees’ State Insurance (Central) Rules, 1950, in rule 50, for the words “fifteen thousand”, wherever they occur, the words “twenty-one thousand” shall be substituted. .

[F.No.S-38012/02/2013-SS-I]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.R.O.212, dated the 22nd June, 1950 and lastly amended vide notification number G.S.R. 598(E), dated the 14th June, 2016.